(258)

III/ निग०/रीवा/2017/भू-रा०/2884 (366)

न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल ग्वालियर खण्डपीठ रीवा
जिला—रीवा (म0प्र0)

Rs 30/-

1— रामसिपाही उर्फ सिपाही चर्मकार पिता झगई चर्मकार, उम्र—65 वर्ष, पेशा—कृषि, निवासी ग्राम—शिसवा, थाना—लालगांव, तहसील—सिरमौर, जिला—रीवा, (म0प्र0)

2— रामनिहोर चर्मकार पिता प्रयाग चर्मकार उम्र—66 वर्ष, पेशा—कृषि,

3— रधवा चर्मकार, पिता झगई चर्मकार उम्र—67 वर्ष, पेशा—कृषि,

4— मुल्ला चर्मकार पिता कल्ला चर्मकार उम्र—70 वर्ष, पेशा—कृषि,
सभी निवासी ग्राम—शिसवा, थाना—लालगांव, तहसील—सिरमौर, जिला—रीवा, (म0प्र0)

............निगरानीकर्तागण/आवेदकगण

विरूद्ध

म0प्र0 शासन

.... गैरनिगरानीकर्ता/अनावेदक

अधि० श्री तरुण कु० पाण्डेय
द्वारा पेश/26-8-17

कलर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म० प्र० ग्वालियर
(सर्किट कोर्ट) रीवा

राजस्व निरीक्षक मण्डल लालगांव तहसील सिरमौर जिला रीवा के प्र0क0 84अ/16—17 आदेश दिनांक 12.07.2017 के विरूद्ध निगरानी

म0 प्र0 भू0 रा0 सं0 की धारा 50 के अधीन निगरानी

निगरानीकर्तागण/आवेदकगण का विनम्र निवेदन नीचे लिखे अनुसार है:—

1— राजस्व निरीक्षक द्वारा पारित आदेश सीमांकन नियम एवं विधिक प्रावधान के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

(258)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ–अ

प्रकरण क्रमांक III / निग0 / रीवा / भू–रा0 / 2017 / 2884 जिला–रीवा

रामसिपाही / शासन म0प्र0

(1)	(2)	(3)
24.04.19	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री तरूण कुमार पाण्डेय उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी राजस्व निरीक्षक, मण्डल लालगांव तहसील सिरमौर के प्रकरण क्रमांक 84 / अ–12 / 2016–17 में पारित आदेश दिनांक 12.07.2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत राजस्व निरीक्षक द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 15.07.19 को कलेक्टर, जिला रीवा के समक्ष उपस्थित हो। (बी.एम.शर्मा), सदस्य	